




तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/11/15	18/12/15 बकुलाय पक्षकारान उपस्थित/पीठासीन अधिकारी राजस्व कार्य होने से प्रकरण दि. 18/12/15 को पेश हो। 2	
8/11/16	19/2/16 बकुलाय पक्षकारान उपस्थित/पीठासीन अधिकारी राजस्व कार्य होने से प्रकरण दि. 19/2/16 को पेश हो। 2	
11/4/16	बकुलाय पक्षकारान उपस्थित/पीठासीन अधिकारी राजस्व कार्य होने से प्रकरण दि. 13/5/16 को पेश हो। 2	
8/6/16	पतावली राजस्व लोक अदालत शिविर 'डायर आपके डार' मुकाम नयावास में उत्कृत वादीगण का कथित है की वादीगण व उतीवादीगण के सजरा खानदान में मूल पुरुष अजा थे जिनके पांच पुत्र काला, भीमा, चीना, कपा एवं रामा हुं। काला के पति होने पर हाकला, मकना, नेता, लूकिया, कसना पुत्र हुं। मुकाम में हाकला व लूकिया के लाभांलाह पति होने से वरिसान मकना, नेता राज पतिस्व कसना, लालू, श्रीपाल, कमलेश, नानालाल विनेश उतिवादी पक्ष से उपस्थित हुं साथ ही वादी पक्ष भी उपस्थित हुं दोनों पक्षों का आपसी राजीनामा उत्कृत किया गया मुलावारी मकना पिता काला जी अनुपस्थित रहा जिसके सन्याईश हेतु संसन्ध एवं दो मोतविरान को राजीनामों	हस्ता लिखित की सहाय 14/10/16 12/11/16

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p> आपत्ति नहीं है। साथ ही अब्य प्रतिवादी गण ने इस वादी गण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया थी इन सभी सजा खानदान अनुसार एक ही परिवार से है एवं इन सभी हिस्से कइसए करत कारत है। रिकॉर्ड में इन हिस्से कइसए करत कारत घोषित किये जाने पर इन कोर आपत्ती नहीं है। प्रभावली को अवलोकन किया गया। अतः मौजा नयावाम पट्टार खाता नयावाम की जमाबंदी संपत् 2067 से 2070 के खाता संख्या 266 में वर्णित धारापीयात कुल कित 7 रकबा 19.02 में मकना पिता काला के 1/15 जेता पिता काला के 1/15 लालुराम, श्रीपाल कमलेश, नानालाल विनेश पिता कसना के अरुण पति स्व. कसना के 1/15 जोरिया पिता भीमा के 1/20 मयुना, पोयट पिता वनिया के 1/20 मणसी पिता भीमा के 1/20 वीरना पिता भीमा के 1/20 हेमा पिता चीना के 1/5 पांजता, लाला पिता धुला के 1/5 साख्खा, पीथाराम, बाबु पिता रामा के 1/5 खातेदार कारत कारत घोषित किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 21/11 उपखण्ड अधिकारी कोटड़ा (जिला उदयपुर) </p>	<p>  <u>1/11/2011</u> लालुराम   कमलेश </p>

डिक्री व मुकदमें इब्तादाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ^{कोटड़ा} ~~मोमुन्दा~~ जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल लाल मीना (RAS) कोटड़ा

मुकदमा 714 सन् 18/12/14 सीगह

श्री जोरिया, मणसी वीरनाड 6 मीमाजी बनाम श्री मकना पिता कालाजी

महुना पोपट पिता वनिया वंगरह सायब कसना, लाल/कसना

निवासी - नयावास श्रीपाल/कसना वंगरह

दावा बाबत 88, 188 निवासी नयावास

यह मुकदमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने श्री गोपाल लाल मीना के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

वार्दी की ओर से वकील श्री प्रतिवादी की ओर से वकील -

की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

पट्टार दौंग नयावास, तह कोटड़ा, की मीना नयावास से 70 के खाता संख्या 266 में वषित आराजीयात कुल किता 7 रुकजा 19.02 में मकना पिता काला को 1/15 नेता पिता काला को 1/15 लालुराम, श्रीपाल, कमलेश नानालाल विनेश पिता कसना को उप सायब पति स्व कसना को 1/15 जोरिया पिता मीना को 1/20 महुना पोपट पिता वनिया को 1/20 मणसी पिता मीना को 1/20 वीरना पिता मीना को 1/20 हेमा पिता मीना को 1/5 पंगता, लाला पिता जुला को 1/5 सायबा, पीपाराम, लालु पिता रामा को 1/5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

और इस वाद के खर्चे लेखे रुपये की राशि आज की तारीख

से वसूली की तारीख तक उस पर प्रतिशत की दर से ब्याज सहित

द्वारा को दी जाये।

यह आज तारीख मार सन् को

मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।



(गोपाल लाल मीना)
हस्ताक्षर न्यायाधीश
उपखण्ड अधिकारी
पद कोटड़ा (जिला उदयपुर)

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
वाद पत्र के लिये स्टाम्प स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे			स्टाम्प प्रार्थना पत्र स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे		
योग			योग		